संख्या- 1/2018/1755/43-1-2017-14(70)2016

प्रेषक,

एस०एन०शुक्ल
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र०शासन|

सेवा में,

अवैतनिक सचिव, आई०आई०पी०ए०
नई दिल्ली की उ०प्र० रीजनल शाखा,
जवाहर भवन,लखनऊ|

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक: 05 फरवरी,2018

विषय:- इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश शाखा,लखनऊ को अनुदान(गैर वेतन)की द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में|

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 7215/आई०आई०पी०ए०/2017-18,दिनांक 05-10-2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,नई दिल्ली की रीजनल शाखा,लखनऊ को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने,सेमिनार्स आयोजित करने,तथा कार्यालय के अंशकालिक स्टाफ पर अनुमोदित व्यय करने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रु० 4,50,000/-(रूपये चार लाख पचास हज़ार मात्र) के सापेक्ष अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि 2,57,500/-(रूपये दो लाख सत्तावन हज़ार पांच सौ मात्र)अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं|

2- आहरण वितरण अधिकारी,प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त अवशेष द्वितीय किश्त की धनराशि 2,57,500/-(रूपये दो लाख सत्तावन हज़ार पांच सौ मात्र)आहरित कर अवैतनिक सचिव,भारतीय लोक प्रशासन संस्थान,नई दिल्ली की उ०प्र०रीजनल शाखा,लखनऊ को नियमानुसार उपलब्ध करायी जायेगी|

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि उन्हीं उद्देश्यों पर व्यय की जायेगी जिनके लिए धनराशि आवंटित की जा रही है|

भविष्य में राज्य सरकार द्वारा संस्थान को किसी प्रकार की सहायता/अनुदान देने पर तभी विचार किया जाएगा जब संस्थान द्वारा अनुदान दिये जाने संबंधी नियमावली तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा शासन को प्रस्तुत कर दिया जाएगा|उक्त धनराशि से सम्बंधित लेखे राज्य सरकार द्वारा ओडिटेबुल होंगे |

---2---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-46 के अधीन "लेखा शीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा-80-सामान्य-004-अनुसंधान-03- इन्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश शाखा,लखनऊ को अनुदान-20- सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) " के नामे डाला जाएगा|

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू०ओ०-ई-9-42-दस /2018,दिनांक 20फरवरी,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है|

भवदीय

(एस०एन०शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव|

संख्या: 1/2018/1755(1)/43-1-2017 दिनांक: तदैव|

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/ द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद|
2. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय उ०प्र० इलाहाबाद|
3. कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ|
4. अवैतनिक सचिव, आई०आई०पी०ए०,नई दिल्ली की उ०प्र० रीजनल शाखा, जवाहर भवन,लखनऊ|
5. अनुभाग अधिकारी,लेखा प्रशासनिक सुधार विभाग को एक अतिरिक्त प्रति सहित|
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा,उ०प्र०,लखनऊ|
7. वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग-9.
8. वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1.
9. गार्ड फ़ाइल|

आज्ञा से,

(एस०आर०यादव)
संयुक्त सचिव|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।